न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– संजू पारीक आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रकरण संख्या– 40/2025

1. ओम प्रकाश पुत्र रेवताराम उम्र 61 वर्ष निवासी खेत में बनी ढाणी, खोड़ा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।

– अपीलार्थी

बनाम

1. तहसीलदार राजस्व रावतसर।
2. चुन्नी पुत्र पुरखा राम जाति कुम्हार निवासी खोड़ा तहसील रावतसर।

–रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः– श्री संजय कुमार जोशी अधिवक्ता अपीलांट।

श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–01

निर्णय दिनांकः–22.08.2025

अपीलांट ओमप्रकाश पुत्र रेंवताराम द्वारा तहसीलदार रावतसर के आदेश क्रमांक राजस्व/2025/539 दिनांक 16.06.2025 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट सं0 2 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा अविधिक आदेश पारित कर अपीलान्ट को उसके कब्जा काश्त की भूमि व उस पर बनी रिहायशी ढाणी से बेदखल करने का आदेश पारित किया गया को, आपास्त करने हेतु अपील पेश की गई है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

तहसीलदार राजस्व रावतसर द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिए बगैर दिनांक 16.06.2025 को प्रत्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को स्वीकार कर अपीलार्थी को उसकी पिछले 40 वर्षो से कब्जा काश्त व स्वामित्व की भूमि से अपीलार्थी को हटाकर प्रत्यर्थी सं. 2 को कब्जा दिए जाने का आदेश फरमा दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी निम्नलिखित आधारों पर यह अपील प्रस्तुत कर रहा है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.09.04 16:01:18 IST
Reason: SelfAttested

1. आदेश प्रत्यर्थी सं. 1 दिनांक 16.06.2025 विधि विरुद्ध, अनुचित, अवैध व अ[illegible] होने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है।

Continue---------

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

2. प्रत्यर्थी सं. 1 ने प्रत्यर्थी सं. 2 के विरूद्ध मिथ्या आधारों पर मनगढ़त तरीके से सही व सत्य तथ्यों को छुपाते हुए दिनांक 12.06.2025 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया व प्रत्यर्थी सं. 1 ने प्रार्थना पत्र में दर्ज आधारो की समुचित जांच पड़ताल किए बगैर व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बगैर दिनांक 16.06.2025 को अपीलार्थी को उसके कब्जा काश्त की भूमि जो 37 वर्षो से अधिक अपीलार्थी को राज्य सरकार द्वारा आवंटनशुदा है जिसमें अपीलार्थी ने अपनी रिहायश हेतु पक्की तामिरात कायत कर मकान का निर्माण किया हुआ है व अपनी आंवटनशुदा कब्जा काश्त की भूमि पर काफी खर्च कर भूमि पर सुधार किया है तथा राज्य सरकार से बिजली का संबंध स्थापित करवा कर ट्यूबवेल 2010 से स्थापित कर रखा है, बावजूद इसके प्रत्यर्थी सं. 1 ने दिनांक 16.06.2025 को आलोच्य आदेश पारित कर विधिक व तथ्यात्मक भूल कारित की है।

3. अपीलार्थी व प्रत्यर्थी सं. 2 के मध्य न्यायालय उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष अपीलार्थी की कब्जा काश्त की भूमि के संबंध में वर्ष 2019 से व्यवहारिक वाद सं. 488/2019 ओमप्रकाश बनाम चुन्नीराम लंबित है। चित्र प्रतिलिपि वाद–पत्र सलंग्न है। उक्त वाद में न्यायालय द्वारा कब्जा काश्त के संबंध में अंतिम निर्णय पारित किया जाना है, बावजूद इसके प्रत्यर्थी सं. 1 ने आलोच्य आदेश पारित कर विधिक व तथ्यात्मक भूल कारित की है।

4. यह कि अपीलार्थी को कब्जा काश्त की भूमि राज्य सरकार द्वारा आवंटनशुदा है व अपीलार्थी द्वारा अपनी कब्जा काश्त की भूमि की समस्त राशि भी अदा की जा चुकी है व अपीलार्थी का अपनी भूमि पर दृष्यमान स्वामी के रूप में कब्जा बिना किसी विघ्न व बाधा के निर्विवाद चला आ रहा है। बावजूद इसके प्रत्यर्थी सं. 1 ने आलोच्य आदेश पारित कर विधिक व तथ्यात्मक भूल कारित की है।

5. अपीलार्थी को अपनी कब्जा काश्त की भूमि आवंटन होने के पश्चात् राजस्व अधिकारियो द्वारा अपीलार्थी के कब्जा काश्त की भूमि का सीमांकन कर कब्जा आज से 40 वर्ष पूर्व सुपुर्द किया गया था। जिसका लगान भी अपीलार्थी अदा करता चला आ रहा है तथा प्रत्यर्थी सं. 2 भी अपने को आवंटित जगह पर काबिज है जिसकी पुष्टि भी समय–समय पर प्रत्यर्थी सं. 1 [illegible]री से मंगवाई गई मौका की रिपोर्ट से भी साबित है व राजस्व [illegible] भूमि पर पिछले 40 वर्षो से अपीलार्थी का कब्जा होने व भूमि अपीलार्थी की राज्य सरकार से आवंटनशुदा होने की मौका रिपोर्ट समय–समय पर दी है बावजूद इसके प्रत्यर्थी सं. 1 ने आलोच्य आदेश पारित कर विधिक व तथ्यात्मक भूल कारित की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.09.04 16:01:18 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

continue ------

6. यह कि प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा बिना किसी सक्षम विधिक स्थिति व कानूनी प्रावधान के आदेश पारित किया है, जो किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेश की परिभाषा में नही आता है और ना ही तहसीलदार राजस्व को किसी व्यक्ति को बेदखल कर कब्जा अदान–प्रदान किए जाने की विधिक शक्ति प्राप्त है बावजूद इसके प्रत्यर्थी सं. 1 ने अपने पदिय हैसियत का दुरूपयोग कर विधिक व तथ्यात्मक भूल कारित की है।

7. कानूनन राजस्व पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक को राजस्व के अन्तर्गत कब्जा आदान–प्रदान करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है व ना ही प्रत्यर्थी सं. 1 को ऐसा आदेश जारी करने की विधिक शक्तियां प्राप्त है। प्रत्यर्थी सं. 1 ने प्रत्यर्थी सं. 2 के राजनैतिक व आर्थिक प्रभाव के चलते विधि विरूद्ध तरीके से आलोच्य आदेश पारित कर विधिक व तथ्यात्मक भूल कारित की है।

8. विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बगैर उसके विरूद्ध कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता जबकि प्रत्यर्थी सं. 1 ने उक्त सुस्थापित सिद्धान्तो की अवहेलना कर विधिक व तथ्यात्मक भूल कारित की है।

9 .प्रत्यर्थी सं. 1 ने विधि व साक्ष्य का सही प्रकार मूल्यांकन, विवेचन तथा विशलेषण नहीं किया है।

10.' अपील के शेष आधार वरवक्त बहस निवेदन किये जाएगें।

11. अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार की है तथा अन्दर मियाद अवधि के उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है ।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी सं. 1 का क्रमांक राजस्व/2025/539 दिनांकित 16.06.2025 को अपास्त फरमाया जावे।

पत्रावली पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये रजिस्ट्रर्ड डाक नोटिस से तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–01 अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रावतसर से आदेश दिनांक 16.06.2025 की [illegible] तलब की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या –02 की ओर से श्री [illegible] हुए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.09.04 16:01:18 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट श्री संजयकुमार जोशी द्वारा लिखित बहस पेश की गई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

continue ------

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या–02 श्री महेशचन्द्र शर्मा ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी के क्षेत्राधिकार में अवैध कब्जा नहीं आता है। अपीलांट को रोही मौजा खोड़ा तहसील रावतसर के खसरा नं0 109/70 की 17 बीघा भूमि आंवटित हुई थी रेस्पोडेन्ट संख्या–02 को खसरा नं0 94/36 की 36 बीघा भूमि आंवटित हुई थी। खसरा नं0 109/70 का कब्जा दिलवानें बाबत अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार आदेश पर न्यायालय हाजा द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया है। कब्जा संबधी प्रशासनिक आदेश पर स्थगन जारी नहीं किया जा सकता है। न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या–02 की अलॉटशुदा खसरा नं0 94/36 की भूमि पर स्थगन आदेश पारित किया गया है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रावतसर द्वारा अपीलांट को खसरा नं0 94/36 का अतिक्रमी मानते हुये स्थगन आदेश को दिनांक 12.06.2025 को खारिज किया है। उक्त विवादित भूमि का न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ एंव न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रावतसर में दावा जैरकार है। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रावतसर के आदेश 16.06.2025 को यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट खारिज की जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एंव अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली का अध्ययन किया गया तो पाया कि रेस्पोडेन्ट संख्या–02 की ओर से उग्रसैन पुत्र चुन्नीलाल पुत्र पुरखाराम जाति कुम्हार निवासी खोड़ा द्वार प्रार्थना–पत्र पेश खोडा बरानी के खसरा नं0 94/36 की 9.3580है0 भूमि प्रार्थी को आंवटित है, जिस पर औमप्रकाश पुत्र रेंवताराम जाति जाट निवासी खोडा द्वारा कब्जा कर रखा है। इस भूमि का कब्जा दिलवानें बाबत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार रावतसर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के पर कार्यवाही करते हुये आदेश क्रमांक राजस्व/2025/539 दिनांक 16.06.2025 के द्वारा कब्जा हटानें बाबत आदेश पारित किया गया।

भू–अभिलेख निरीक्षक वृत खोडा की रिपोर्ट दिनांक 13.06.2025 के – अनुसार "चक खोडा बरानी मे चुनीराम पुत्र पुरखाराम जाति कुम्हार साकिन खोडा खसरा नं0 94/36 में 9.3580 बरानी–I नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि पर औमप्रकाश पुत्र रेंवताराम जाति जाट साकिन खोडा ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है"।

समस्त अध्ययन के उपरान्त न्यायालय [illegible]त [illegible] अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रावतसर द्वारा दिनांक 16.06.2025 को पारित [illegible] क्रमांक राजस्व/2025/539 दिनांक 16.06.2025 के विरूद्ध न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 25.06.2025 को "मौका एंव रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखनें बाबत" जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जाता है एंव अपील अपीलांट खारिज योग्य होनें से खारिज की जाती है। अधीनस्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.09.04 16:01:18 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

continue ------

न्यायालय तहसीलदार रावतसर की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 22/8/25 को सरेइजलास सुनाया गया

22/8/25

(संजू पारीक आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2025.09.04 16:01:18 IST
Reason: SelfAttested